

तार "केन्द्रीय निधि" नई दिल्ली

Telegram: "KENDRIYA NIDHI" New Delhi

ई-मेल/E-Mail: cpfc@alpha.nic.in

dydirepfo@rediffmail.com

Speed Post

दूरभाष/Telephone: 011-26185097

फैक्स/FAX : 011-26168431



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय/ Head Office

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavisya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या: एचआरएम- I/16(5)2008/एचटी/नियुक्ति/2059

दिनांक

कार्यालय-आदेश

25 सितम्बर 2009

सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों को कार्यभार संभालने की तिथि से नियमित आधार पर 9300-34800+ग्रेड पे 4600 (5500-9000 पूर्व संशोधित) रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर पदोन्नति का अनुमोदन करते हैं। वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर पदोन्नति होने पर कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण तथा तैनात किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम(श्री/श्रीमती/कुमारी)	वर्तमान स्टेशन	पदोन्नति होने पर तैनाती
1.	शोभना बंसल	उपक्षेत्रीय कार्यालय, आगरा	क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई-।
2.	नरेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्ने
3.	स्नेह लता	उपक्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर	उपक्षेत्रीय कार्यालय, कालीकट
4.	एन.के. मिश्रा	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	क्षेत्रीय कार्यालय, जलपाईगुड़ी
5.	बी.दत्तादरी	उपक्षेत्रीय कार्यालय, निजामाबाद	क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बतूर
6.	एस.शोभना कुमारी	उपक्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	उपक्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन
7.	एम.एम.मिश्रा	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
8.	आर.सेलवन	क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै	क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै
9.	राजपाल सिंह(अ.जा.)	उपक्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे


- कर्मचारी क.भ.नि. (स्टाफ तथा सेवा शर्तें) विनियम द्वारा शासित होंगे।
- चूंकि स्थानांतरण जनहित में किया गया है अतः संबंधित कर्मचारी स्वीकार्य वर्तमान नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण यात्रा भत्ता तथा कार्यभार समय प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- कर्मचारियों को इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर पदोन्नति स्वीकार करने की इच्छा भेजनी चाहिए अन्यथा उनके मामले में पदोन्नति आदेश रद्द किए जायेंगे। संबंधित

.....2/- जारी

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 10 दिन के अन्दर कर्मचारी को कार्यभार से मुक्त करने के आदेश इस निर्देश के साथ कर्मचारी को देंगे कि वे यथाशीघ्र तैनाती के नए स्थान पर रिपोर्ट करें ।

4. कर्मचारियों की तैनाती के नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस कार्यालय के रिकार्ड हेतु भेजें ।

भवदीय



(आर.के. कुंकरेजा)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (मानव संसाधन)

सेवा में,

संबंधित कर्मचारियों को

संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से ।

प्रतिलिपि :-

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निजी सचिव ।
3. सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त / निदेशक (नाटरस) ।
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
5. मुख्य अभियन्ता ।
6. सभी क्षेत्रों के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. सभी प्रभारी अधिकारी, उपक्षेत्रीय कार्यालय ।
8. उपनिदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ।
9. महासचिव, ए.आई.ई.पी.एफ. स्टाफ फैडरेशन, चण्डीगढ़ ।
10. महासचिव, ए.आई.ई.पी.एफ. (अनु.जाति व अ.ज.जा.) स्टाफ फैडरेशन, नई दिल्ली ।
11. महासचिव, ई पी एफ ऑफिसर एसोसिएशन, मदुरै ।
12. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) - ई पी एफ वेबसाइट पर अंकन हेतु ।
13. गार्ड फाइल ।

निश कुमार
(जिय कुमार)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -1 (मा. संसाधन)